बिहार सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएं (ICDS) निदेशालय, बिहार
(समाज कल्याण विभाग)
द्वितीय तल, इन्दिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना–800001
फोन: +91-612-2520960, फैक्स:+91-612-2535900, website: *www.icdsbih.gov.in*

अनुबंध पर नियोजन
(दिशानिर्देश)

ICDS System Strengthening and Nutrition Improvement Project (ISSNIP) अन्तर्गत राज्य एवं जिला स्तरीय विभिन्न प्रकार के संविदागत् निम्न रिक्त पदों पर चयन/नियोजन हेतु भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:–

क्र0 सं0	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	मानदेय (प्रति माह रू0)	ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की तिथि
1.	Consultant-BCC & Capacity Building	1(UR)	60000/-	दिनांक 20.04.16 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से) दिनांक 30.04.16 (संध्या 06.00 बजे तक)
2.	Consultant-Nutrition & Child Development	1(UR)	60000/-	
3.	Consultant- Social Development & Community Mobilization	1(UR)	60000/-	
4.	Consultant-Monitoring & Evaluation and Decentralized Planning	1(UR)	60000/-	
5.	Consultant-Financial Management	1(UR)	60000/-	
6.	Consultant Procurement	1(UR)	60000/-	
7.	Accountant	1(UR)	40000/-	
8.	Project Associate	Total = 2 (UR-1, EBC-1)	25000/-	
9.	District Coordinator	Total = 19 (UR-7, UR(Women)-3, EBC-2, EBC(Women)-1, BC-1, BC(Women)-2, SC-2, SC(Women)-1)	30000/-	
10.	District Project Assistant	Total = 19 (UR-7, UR(Women)-3, EBC-2, EBC(Women)-1, BC-1, BC(Women)-2, SC-2, SC(Women)-1)	15000/-	

नोट :– सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 11/आ0नि0–1–11/2015 सा0प्र0 963 दिनांक 20.01.16 के आलोक में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ देय होगा।

सामान्य निर्देश :–

1. उक्त सभी पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र, पदवार TOR एवं विस्तृत दिशानिर्देश इत्यादि आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार के वेबसाईट – ***www.icdsbih.gov.in*** पर उपलब्ध है। जिसे डाउनलोड किया जा सकता है।
2. ऑनलाईन आवेदन समर्पित करते समय आवेदक को अपना हस्ताक्षर एवं अपना पासपोर्ट साईज का रंगीन फोटोग्राफ स्कैन करके यथा स्थान अपलोड करना अनिवार्य होगा।
3. यदि कोई आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें अलग–अलग पदों के लिए अलग–अलग ऑनलाईन आवेदन समर्पित करना होगा।
4. उक्त सभी पद हेतु आयु के लिए Cut off date – 01.01.2016 होगा।

5. उक्त सभी पदों हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण निम्नानुसार होगा :–
   a. अनारक्षित वर्ग (पुरूष) – 37 वर्ष
   b. पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) – 40 वर्ष
   c. अनारक्षित वर्ग (महिला) – 40 वर्ष
   d. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला) – 42 वर्ष
6. माध्यमिक/समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र में वर्णित जन्म तिथि ही मान्य होगा।
7. उक्त सभी पदों हेतु साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का TA/DA अनुमान्य नहीं होगा।
8. नियोजन पूर्णतः संविदा के आधार पर किया जायेगा। अनुबंध की तिथि से प्रत्येक छः माह के उपरांत आवंटित कार्य का मूल्यांकन किया जायेगा एवं संतोषजनक पाये जाने पर ही कार्यावधि का विस्तार 31 दिसम्बर, 2017 (परियोजना के प्रथम चरण की समाप्ति तिथि) तक के लिए किया जायेगा।
9. संविदागत् नियोजन पुर्णतः अस्थायी होगा एवं किसी भी तरह का नियमितीकरण अथवा पुनर्नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा।
10. विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवारों की वांछनीय शैक्षणिक योग्यता, कार्यानुभव एवं अन्तर्वीक्षा के आधार पर किया जायेगा।
11. केवल बिहार राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नियमानुसार देय होगा।
12. वैसे अभ्यर्थी जो सरकारी विभागों/राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में कार्यानुभव रखते हों, को वरीयता दी जायेगी।
13. ऑनलाईन आवेदन करते समय अभ्यर्थी/आवेदक को अपना मोबाईल नं0 एवं ई–मेल पता अनिवार्य रूप से अंकित करना होगा। संविदा आधारित नियोजन के संबंध में किसी प्रकार की सूचना आवेदक द्वारा समर्पित मोबाईल पर SMS एवं Email के माध्यम से ही दी जायेगी।
14. अभ्यर्थियों का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा। मेधा सूची उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता यथा विभिन्न परीक्षा के प्राप्तांक, कार्यानुभव एवं अंतर्वीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।
15. सिर्फ Shortlisted अभ्यर्थियों को ही अर्न्तवीक्षा के लिए बुलाया जायेगा।
16. उक्त सभी पदों हेतु अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये हुए आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट एवं सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र/अन्य प्रमाण पत्रों की एक स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं एक पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो के साथ साक्षात्कार में भाग लेंगे। जाँच हेतु सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति भी लाना आवश्यक है।
17. चयन के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।
18. आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पटना को संविदा कभी भी समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
19. वर्त्तमान में कोटिवार रिक्ति की संख्या में किसी भी प्रकार का परिवर्त्तन नियोजन पूर्व एवं नियोजन के पश्चात् करने हेतु बिना किसी सूचना के आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पटना का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
20. आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, पटना उक्त पद या पद की संख्या या विज्ञापन रद्द या उक्त सभी पद या कोई एक पद को बिना किसी सूचना के समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
21. संविदा आधारित नियोजन संबंधी किसी भी प्रकार का विवाद/शिकायत का निपटारा निदेशालय स्तर पर शिकायत निवारण समिति के द्वारा की जायेगी एवं समाज कल्याण विभाग के शिकायत निवारण समिति में अपील का प्रावधान होगा।

14.4.2016

निदेशक–आई0सी0डी0एस0–सह–
राज्य परियोजना निदेशक, ISSNIP, Bihar